न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 21/2024 निर्णय दिनांकः– 04-12-2024
(जीसीएमएस संख्या 2024/45)

1. इन्द्रपाल पुत्र हंसराज जाति बिश्नोई निवासी कांकडवाला तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. राजेन्द्र पुत्र हनुमानराम जाति बिश्नोई निवासी कांकडवाला तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, लूणकरणसर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 04–09–2023
उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर

उपस्थितिः–
1. श्री हरीश कोठारी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सतपाल सहू, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर के आदेश दिनांक 04–09–2023 जिसके द्वारा वादगत भूमि को मिडियम पेच का रकबा होते हुए स्माल पेच में आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि चक 7 बीएचएम के मुरब्बा नम्बर 44/23 का किला नम्बर 20 ता 22 तादादी 2.12 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर स्माल पेच आवंटन की गई है। वादगत भूमि के चिपते मुरब्बे में अपीलांट की खातेदारी भूमि है एवं मुरब्बा नम्बर 44/24 में 5 बीघा भूमि अराजीराज है। मुरब्बा नम्बर 44/23 एवं 44/24 दोनों आपस में चिपती भूमियां है एवं यदि दोनों मुरब्बों में उपलब्ध अराजीराज भूमि का योग किया जाये तो कुल भूमि 7.12 बीघा होती है जो मिडियम पेच श्रेणी में आवंटन की जाती। मगर अधीनस्थ न्यायालय ने साठ–गाठ करके रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुंचाने की नियत से वादगत भूमि का आवंटन 2 स्माल पेच श्रेणी में किया गया है जो विधिविरूद्ध है। वादगत भूमि यदि मिडियम पेच श्रेणी में आवंटित की जाती तो वादगत भूमि के चिपते काश्तकारों की संख्या में वृद्धि होती एवं यदि कोई समान प्राथमिकता का काश्तकार होता तो अपीलाधीन अराजी का आवंटन जरिये नीलामी होता जिससे राजकोष में वृद्धि होती। रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत भूमि के आवंटन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में 2 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये प्रथम प्रार्थना पत्र में अपीलांट एवं चिपते मुरब्बे के काश्तकारों को पटवारी रिपोर्ट एवं नक्शे में अंकित नहीं किया गया मगर दूसरी रिपोर्ट में अपीलांट एवं अन्य काश्तकारों के नाम अंकित किये गये मगर अधीनस्थ न्यायालय ने सिर्फ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन करने की नियत से अपीलांट एवं अन्य काश्तकारों को नोटिस जारी नहीं किये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह स्पष्ट है कि अपीलांट को किसी

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

PB-4(37400-67000)

प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराघात किया गया है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि थी एवं मुरब्बा नम्बर 44/23 व 44/24 की अराजीराज भूमि का योग स्माल पेच श्रेणी से ज्यादा होने के बावजूद, अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन स्माल पेच आवंटन, आवंटन नियमों के विपरीत होने से प्रारम्भ से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्ध जाकर जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रकिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि चक 7 बीएचएम के मुरब्बा नम्बर 44/23 तादादी 2.10 बीघा भूमि के स्माल पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान उपनिवेशन आवंटन नियम 1975 के नियमों के तहत वादगत् भूमि का आवंटन बतौर स्माल पेच आवंटन किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। प्रकरण में जहॉ तक वादग्रस्त भूमि के अपीलांट का प्रश्न है, अपीलांट के धारण में उसी मुरब्बे में भूमि स्थित नहीं होने के कारण एवं अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अपीलांट को आवंटन से पूर्व नोटिस जारी नहीं किये गये। स्माल पेच श्रेणी में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि यदि समान मुरब्बे के खातेदार ने स्माल पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हो तो स्माल पेच आवंटन

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उसी मुरब्बे में स्थित खातेदार को आवंटित किया जायेगा। आराजी जैर राजस्व रिकार्ड में शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त भूमि के आवंटन पश्चात् तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाते हुए तमाम अधिकार प्राप्त हो चुके है। लिहाजा अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन विधि सम्मत है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। अपने कथनों के समर्थन में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आरआरडी 1993 पेज 525 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में सर्वप्रथम जहॉ तक अपीलांट के वादगत भूमि एवं चिपते मुरब्बे की अराजीराज भूमि के योग से मिडियम पेच श्रेणी आवंटन योग्य भूमि होने प्रश्न है, इस संबंध में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं मुरब्बा नम्बर 44/23 एवं मुरब्बा नम्बर 44/24 में भिन्न–भिन्न व्यक्तियों द्वारा स्माल पेच श्रेणी के आवंटन हेतु प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है। दोनों मुरब्बों में स्थित अराजीराज भूमि बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अलग–अलग दिनांक को प्रस्तुत किये गये है। ऐसी स्थिति में दोनों मुरब्बों की भूमि मिलाकर आवंटन कियेजाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

प्रकरण में जहां तक अपीलांट को आवंटन से पूर्व नोटिस प्रेषित नहीं किये जाने के संबंध में पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पटवारी रिपोर्ट एवं नजरी नक्शे के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मुरब्बा नम्बर 44/23 में अपीलांट के धारण में भूमि नहीं होने से अपीलांट को नोटिस जारी नहीं किया गया है ना ही अपीलांट द्वारा सार्वजनिक सूचना पर उपस्थित आते हुए किसी प्रकार का कोई एतराज प्रकट किया गया है। अपीलांट द्वारा वादगत भूमि के बाबत किसी तरह का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से एवं धारण में भूमि नहीं होने से नोटिस जारी नहीं किये गये है। वादगत भूमि के आवंटन बाबत एकमात्र

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया है एवं वादगत भूमि पर रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र की जांच पश्चात पटवारी रिपोर्ट प्राप्त करते हुए अपीलाधीन अराजी शुद्ध रूप से अराजीराज होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन की गई है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नही पाई जाती है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06–12–2023 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 05-12-2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर